

आप का गई। जिसके अनुसार भेजा गया है। दिनांक 16/11/20

पुनः जो आस्थापना के अन्तर्गत वसूली का नाम दर्ज किया है।

पुनः का नाम (सहायक) के अन्तर्गत वसूली का नाम दर्ज किया है।

कार्यालय ताहसीलदार, उदयपुरवाटी/गुढागौड़जी

क्रमांक राजस्व/2020/

दिनांक :-

16/11/20

मूल ही उपखण्ड अधिकारी महोदय, उदयपुरवाटी को प्रेषित कर निवेदन है कि आवेदन पत्र में वर्तमानुसार आवेदक का नाम दुरुस्त किया जाना उचित है/उचित नहीं है। आवेदक का नाम दुरुस्त किये जाने की अभिराप्ता की जाती है/नहीं की जाती है।

(Signature)
ताहसीलदार, उदयपुरवाटी/गुढागौड़जी

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर उदयपुरवाटी जिला मुकुन्द (राज.)
-: आदेश :-

दिनांक :-

प्रार्थी के "खाता दुरुस्ती" प्रार्थना पत्र, पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्षों एवं ताहसीलदार (मू0अ0) उदयपुरवाटी/गुढागौड़जी की रिपोर्ट के आधार पर राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 136 के अनुसारण में निम्नांकित दर्ज प्रविष्टि को निम्नलिखित रूप से शुद्ध किया जाकर ताहसीलदार (मू0अ0) उदयपुरवाटी/गुढागौड़जी को राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद के आदेश दिये जाते हैं।

क्र.सं.	ग्राम	जमाबन्दी सम्यत्	खाता संख्या	वर्तमान प्रविष्टि (अशुद्ध)	आदेश (शुद्ध प्रविष्टि जो राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जानी है।)
	क. 119	2011-18	36	बनारस सुरजा राव	बनारसी लाल सुरजा राव

नोट :- शेष प्रविष्टियां यथावत रहेंगी तथा यदि उक्त भूमि रहन हो तो रहन मुक्त होने के उपरान्त निर्णय की पालना की जाये।

(Signature)
उपखण्ड अधिकारी, उदयपुरवाटी

दिनांक :- 16/11/20

क्रमांक :- राजस्व/2020/1145-46

प्रतिलिपि :-

1. ताहसीलदार (मू0अ0) उदयपुरवाटी/गुढागौड़जी को वास्तो पालनार्थ।
2. प्रार्थी/प्रार्थीया



(Signature)
उपखण्ड अधिकारी, उदयपुरवाटी